तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जयप्रकाश हरवानी बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 142 / 2020

21.09.20

अपीलार्थी जयप्रकाश हरवानी, पता म.नं.जे–157, पार्शवनाथ सीटी, सांगरिया पाल बाईपास रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.06..20 में उसके द्वारा (1) दिनांक 12.06.20 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के अनुसार लॉकडाउन के ढाई माह में शहर में बिना इजाजत बेखैफ आवासीय व व्यवसायिक निर्माण कैस होते रहे मय प्रमाण सूचना व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 706 दिनांक 10.09.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि कार्यालय के पत्रांक 665 दिनांक 04.09.20 द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है कि आवदेन पत्र में चाही गई सूचना से संबंधित अभिलेख का संधारण इस कार्यालय में नहीं किया जाता है तथा चाही गई सूचना नगर निगम, जेडीए, खनिज एवं परिवहन विभाग से संबंधित है, जिसका अन्तरण इन सभी विभागों को किया जाना संभव नहीं है, अन्तरण मात्र एक विभाग तक ही किया जा सकता है।

चूकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील दायर होने के पश्चात् अपीलार्थी / प्रार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया जो खेदजनक है अतः भविष्य में ऐसे प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत अवधि में किया जावे। हम लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत है कि चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है तथा एक [illegible] सूचना संबंधित होने पर अन्तरण किया जाना उचित नहीं है अतः आ[illegible] सूचना प्राप्त करने के लिए गंभीर है तो संबंधित वि[illegible] आवेदन कर सूचना प्राप्त करें। अतः इस स्टेज पर अपील निरस्त [illegible] से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh In
Date: 2020.10.13 18:18:52 IST
Reason: SelfAttested